न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69 / 2021

1. भगवान सिंह पुत्र मोती
2. राजाराम पुत्र लालाराम
3. राधेश्याम
4. धनश्याम
5. हुकमचन्द पिसरान लालचन्द जाति माली निवारी ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. दीपक पुत्र जयसिंह
3. रामा
4. परमो
5. कलमा
6. सोनदेई पुत्रीयान लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 01 / 10 / 2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 312 / 0.44, 313 / 0.49, 316 / 0.51, हाल खसरा नम्बर 369 / 0.44, 370 / 0.49, 373 / 0.51 हैक्टर बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी में स्थित है। यह कि वादीगण के हक प्रतिवादीगण के समान हक है। वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तरतीवी प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी के दर्ज सह खातेदार लालचन्द व सूरज की मृत्यु हो चुकी है । लालचन्द के वारिसान वादीगण संख्या 3 लगायत 5 , तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 एवं मृतक सूरज के वारिसान प्रतिवादीगण 7

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 12 है। जिनको पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आराजी मुतदाविया वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्ततकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के बुजुर्गान अपने-अपने हिस्से पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादीगण काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण 1 व 2 व मृत्तक लालचन्द, सूरज का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर एवं मृत्तक लालचन्द व सूरज के स्थान पर उनके वारिसान खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 21/09/21 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित मे है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :-</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :-</u> आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :- दादरसी ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 राधेश्याम, पी0डब्लू0 2 हुकमचन्द के शपथ पत्र पेश किये । दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 लगायत 2018, 2019 लगायत 2020, 2024 लगायत 2027, 2031 लगायत 2034, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042, 2044 लगायत 2047, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2056 लगायत 2059, 2075 लगायत 2078, नकल खसरा गिरदावरी 2009 से 2063 पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है।पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2015 लगायत 2018 आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा की कब्जे काश्त की भूमि रही है। मुताबिक जबाब तहसीलदार पहाडी वर्तमान में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अतः उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एंव जबाब तहसीलदार आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा की आराजी है। वर्तमान में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से गैर मौरूसी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज है। अतः आराजी पर चले आ रहे गैर खातेदार के इन्द्राज को वादीगण कलमजन कराकर अपने आपको मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3 दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 312/0.44, 313/0.49, 316/0.51 हाल खसरा नम्बर 369/0.44, 370/0.49, 373/0.51, हैक्टर बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2021

1. भगवान सिंह पुत्र मोती
2. राजाराम पुत्र लालाराम
3. राधेश्याम
4. धनश्याम
5. हुकमचन्द पिसरान लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. दीपक पुत्र जयसिंह
3. रामा
4. परमो
5. कलमा
6. सोनदेई पुत्रीयान लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 312/0.44, 313/0.49, 316/0.51, हाल खसरा नम्बर 369/0.44, 370/0. 49, 373/0.51 हैक्टर बांके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख01/10/. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		